मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक–एफ 12–4/2018/54–1 भोपाल, दिनांक 21.05.2021

प्रति,

आयुक्त,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषय–विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के नियम 2007 में संशोधन।

कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन नियम 2007 में निम्नानुसार छूट दी जाती है :–

<u>नियम 7.2</u>

उक्त नियम में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को चयन की सूचना प्राप्त होने के वर्ष की समयावधि में विदेश के अधिमान्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करना होता है। कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जुलाई 2020 में चयनित विद्यार्थियों की समय–सीमा 31.7.2021 को समाप्त हो रही थी, उसमें विशेष परिस्थितियों में अस्थायी रूप से एक वर्ष की वृद्धि की जाती है।

2. कोविड संक्रमण के कारण जुलाई 2020 में चयनित विद्यार्थियों ने जिस देश के विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश लिया है, यदि उसकी सीमा वर्तमान में बंद है, तो उन्हें उक्त अवधि में अन्य किसी ऐसे देश में, जिसकी सीमा खुली हुई है, प्रवेश लेने की अनुमति होगी, बशर्ते कि उक्त संस्थान मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु विदेशों में उच्च शिक्षा संबंधी योजना के नियमों/शर्तों की पूर्ति करता हो।

(एन.पी.नामदेव)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृ.क्र.–एफ 12–4/2018/54–1 भोपाल, दिनांक 21-05-2021

प्रतिलिपि –

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, म.प्र. भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव, म.प्र. भोपाल
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, म.प्र.।
7. संचालक, जनसंपर्क अधिकारी , वल्लभ भवन, भोपाल।
8. स्टॉक फाईल।

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग